बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com
महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिदिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 56 दिनांक 23-11-17

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार।

विषय :– **भू–अर्जन प्राधिकार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर आदेश करने एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को प्रताड़ित करने के संदर्भ में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक– 19.11.2017 को स्व0 तौकीर अकरम, 45वीं बैंच, कोटि क्रमांक– 1210/11, सम्प्रति– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर की मौत हो गई।

संघ के प्रतिनिधि मंडल को बक्सर जाने पर जिला इकाई एवं समाहर्त्ता द्वारा स्व0 तौकीर अकरम के वेतन नहीं मिलने के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई। इस संदर्भ में संघ के केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठक दिनांक– 20.11.2017 को हुई। उनका वेतन LARR प्राधिकार ने CPC के धारा 60 एवं ऑर्डर 21 रूल 48 के आलोक में जब्त करते हुए उसे प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश किया।

उक्त आदेश के आलोक में वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर ने अपने पत्रांक 181281, दिनांक– 29.09.2016 द्वारा अध्यक्ष–सह–पीठासीन पदाधिकारी, भू–अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकार को प्रेषित पत्र में अंकित किया कि– "बिहार कोषागार संहिता के नियम 148 एवं 149 के अनुसार वेतन विपत्र से किसी प्रकार की कटौती या वसूली केवल निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं या किसी उच्चाधिकारी के आदेश से कर सकते है। कोषागार पदाधिकारी को स्वयं कटौती करने का अधिकार नहीं है।"

उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में अध्यक्ष–सह–पीठासीन पदाधिकारी, भूमि–अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकार, पटना द्वारा पत्रांक 96, दिनांक– 30.09.2016 द्वारा कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित करते हुए अंकित किया कि– "यह अत्यंत खेद का विषय है कि आपके द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया तथा लिखा गया कि बिहार कोषागार अधिनियम 148 एवं 149 के अनुसार वेतन विपत्र से किसी भी प्रकार की कटौती या वसूली केवल निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं या किसी उच्चाधिकारी के आदेश से कर सकते है। कोषागार पदाधिकारी स्वयं कटौती के लिए अधिकृत नहीं है। आपको यह स्पष्ट जानना चाहिए कि इस प्राधिकार को व्यवहार न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त है तथा न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना एवं कराना आप का वैधानिक दायित्व है एवं न्यायालय के आदेश की अवहेलना स्पष्टतया न्यायालय के अवमानना के कोटि में आता है। इसके अतिरिक्त इस नये

अधिनियम 2013 की धारा 84, 85 एवं 87 के अंतर्गत स्पष्टतया प्राविधान किया गया है कि गलत सूचना एवं दूर्भावनापूर्ण कर्त्तव्य निर्वहन तथा भुगतान में टाल मटोल दण्डनीय अपराधों की श्रेणी में आता है। ऐसी परिस्थिति में आपका यह दायित्व है कि प्राधिकार द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावें तथा उक्त दोनों पदाधिकारियों की वेतन राशि को काट कर प्राधिकार के खाते में अविलंब जमा करें। अन्यथा आप स्पष्टतया अवमानना के दोषी होंगे तथा दण्ड के भागी होंगे।"

LARR के समक्ष सरकार के तरफ से आदेश के पुर्नविलोकन हेतु आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में दिनांक– 21.10.2016 को उसमें संशोधन कर LARR ने उसे जीवन निर्वहन भत्ता को छोड़कर वेतन जब्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित राशि का ड्राफ्ट प्रत्येक माह वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा नियमित रूप से LARR को प्रेषित किया जाता था।

सरकार की ओर से एवार्ड एवं आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में मिसलेनियस अपील नम्बर– 1151/16 दाखिल किया गया है जो वर्त्तमान में लंबित है।

समान प्रकार के मामले में बिहार इन्डस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.- 284/17 दाखिल किया है, जिसमें LARR अथॉरिटी को एक्सीक्यूशन की अधिकारिता को चैलेंज किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक– 01.03.2017 के आदेश से विधिवत सुनवाई करने के लिए स्वीकार किया एवं सुनवाई तक LARR अथॉरिटी के एक्सीक्यूशन के अधिकारिता पर रोक लगा दिया गया है।

तत्कालीन भू–अर्जन पदाधिकारी मो0 तौकीर अकरम ने LARR प्राधिकार द्वारा दिनांक– 01.08.2016 एवं 21.10.2016 के आदेश के विरूद्ध CWJC No.- 6979/17 दाखिल किया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 18.09.2017 को स्वीकार कर आदेश को निरस्त करते हुए सरकार को आदेशित किया गया कि आदेश के प्रति प्राप्त होने पर छः सप्ताह के अन्दर वेतन निकासी एवं LARR प्राधिकार के समक्ष वेतन निकासी हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। आदेश की प्रति के साथ तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 16.11.2017 को अध्यक्ष–सह–पीठासीन पदाधिकारी, भू–अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकार को वेतन विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि दिनांक– 18.09.2017 से 15.11.2017 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

संघ यह चाहता है कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आदेश करने वाले प्राधिकार पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करे। इसके साथ अन्य प्राधिकार जो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर किसी प्रकार का आदेश देता है तो उन पर भी कठोर दण्डात्मक कार्रवाई हो।

2. समाचार के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से जाँच करने को कहा है एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस घटना पर दुःख प्रकट किया गया है। संघ इसका स्वागत करता है एवं माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

स्व0 तौकिर अकरम के परिवार की तरफ से दायर प्राथमिकी से प्रतीत होता है कि स्व0 तौकिर के मौत के पिछे गहरी साजिश है। अतः संघ चाहता है कि स्व0 तौकिर के मौत की जाँच **C.B.I** से करायी जाय। दिवंगत परिवार को एक करोड़ राशि दी जाय। साथ ही स्व0 तौकीर के आश्रित को नौकरी दी जाय।

3. संघ की बैठक में यह बात उभरकर आई कि जिलों एवं सचिवालयों में पदस्थापित पदाधिकारी अधिक कार्य बोझ होने के बावजूद भी अपने–अपने दायित्व का निर्वह्न कर रहे है। कुछ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन बन्द करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं दुर्व्यवहार करने संबंधी सूचना प्राप्त हुई। वेतन बन्द करने, मानसिक प्रताड़ना देने एवं दुर्व्यवहार करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः संघ चाहता है कि इस तरह के आदेश पर तत्काल रोक लगायी जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव/सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

प्रतिलिपिः– सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.6979 of 2017

Tauqueer Akram, son of H.N. Shakeel, residing at Shamanpura Raja Bazar, Rukanpura, Patna, at present the District Land Acquisition Officer, Collectoriate, Buxar.

.... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Principle Secretary, Revenue and Land Reforms, Govt. of Bihar, Patna.
2. The Principal Secretary, Water Resources Department, Bihar, Patna.
3. The Director, Land Acquisition & Rehabilitation, Department of Water Resources, Bihar, Patna.
4. The Presiding Officer cum Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Baldeo Bhawan, Patna.
5. The Collector, Buxar.
6. The Executive Engineer, Flood Control Division, Buxar.
7. Mr. Binod Kumar Roy (Retd. Justice), son of Late Kailash Roy.
8. Smt. Shanti Rani, W/o Mr. Binod Kumar Roy (Retd. Justice).
9. Amitabh Kumar Roy, son of Mr. Binod Kumar Roy (Retd. Justice).

   Respondent nos.7 to 9 are resident of Kailash Ashram, Kailash Ray Street off Ram Krishna Avenue, P.O. and Police Station- Kadam Kuan, District- Patna.

.... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Devendra Kumar Sinha, Sr. Adv. with
Mr. Kumar Goutam, Adv.
For the Respondent/s : Mr. Khurshid Alam, AAG-12.

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE JYOTI SARAN
ORAL JUDGMENT
Date: 18-09-2017

Heard Mr. Devendra Kumar Sinha, learned senior counsel appearing for the petitioner along with Mr. Kumar Goutam, the Advocate on record and Mr. Khurshid Alam, learned Additional Advocate General No.12 for the State.

The petitioner is aggrieved by the order dated 1.8.2016 passed by the respondent Presiding Officer –cum- Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Patna appointed under section 51 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land

WEB COPY

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the Authority') whereby the respondent 'Authority' in purported exercise of powers vested in him under section 60 read with Order 21 rule 48 of the Code of Civil Procedure has ordered for attachment of salary of the petitioner until the compensation amount is deposited by the State in terms of the award so pronounced by the respondent 'Authority which order has subsequently been modified on 21.10.2016 on an application so filed on behalf of the State in reference to the provisions underlying section 60 of the Code of Civil Procedure which, according to the respondent 'Authority', does not envisage the attachment of entire salary rather a portion thereof.

It is on the direction of this Court that a counter affidavit has been filed on behalf of the State respondents and in which it is stated that against the award so passed by the respondent 'Authority' that an appeal has been preferred before this Court and which is pending consideration on the quantum of compensation.

The crux of the matter is whether for execution of an award payable by the State can the respondent 'Authority' attach the salary of an official of the State especially where it is not his personal liability to deposit the compensation amount rather the onus is on the State itself.

Prima-facie the order of the respondent 'Authority to attach the salary of the petitioner does not find support from the provisions underlying either section 60 or Order 21 rule 48 of the Code of Civil Procedure so relied upon by him. The liability to pay compensation as per the award lies on the State and is certainly not the individual personal

WEB COPY

liability of the petitioner even though he happens to be an integral part of the acquisition proceedings in question.

As I have said, it is on a complete misconception in appreciation of section 60 read along side Order 21 rule 48 of the Code of Civil Procedure that the order(s) of attachment put to challenge, has been passed which is grossly illegal and is accordingly quashed and set aside.

In result, the order dated 1.8.2016 as it stands modified vide order dated 21.10.2016 passed by the respondent 'Authority' in so far as it proceeds to attach the salary of the petitioner, is quashed and set aside.

The order of the respondent 'Authority' passed on 1.8.2016 as modified vide order dated 21.10.2016 stands modified to that extent. As a consequence the State respondents would be advised to take appropriate steps for release of the salary of the petitioner and for its payment within a period of six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

The writ petition is accordingly allowed.

(Jyoti Saran, J)

SKPathak/-

AFR/NAFR	NAFR
CAV DATE	NA
Uploading Date	25-09-2017
Transmission Date	NA

WEB COPY